तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	हुक्म की तामील में जारी हुए
	2018	
02.07.18	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अपीलान्ट एवं रेस्पोडेंट 3 लगायत 9 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत् तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया। वाद के साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम दुर्गा का बास तहसील आमेर जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र के मद संख्या 3 में किया गया है के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की चाही गई कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी नहीं करे तथा भूमि का विधिवत तकासमा करवाये बिना बेचान हस्तान्तरण नहीं करें न ही कोई निर्माण कार्य करें तथा राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.06.2017 को अपीलाधीन आदेश पारित कर उभय पक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द कर ताफैसला वाद विवादित भूमि के मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की वर्तमान स्थिति यथावत बनाये रखने के आदेश पारित किये गये है। उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई हैं। अपीलान्ट द्वारा अपील में आपत्ति ली गई है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली तलबी में नियत थी तथा सम्पूर्ण पक्षकारों की तामील करवाये बगैर एवं अपीलान्ट को सूचना दिये बिना पत्रावली को न्याय आपके द्वारा कैम्प दुर्गा का बास में नियत किया जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो कि कानूनी सिद्धान्तों के विपरीत है। इस पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।	

अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मात्र से ही स्पष्ट होता है कि अपीलाधीन आदेश केवल मात्र प्रार्थी को लाभ पंहुचाने की गर्ज से पारित किया गया है। पत्रावली में तलबी पूर्ण नहीं हुई थी तथा जिनकी तलबी हो गई थी उनसे भी जवाब प्रार्थना पत्र नहीं लिया जाकर तथा पत्रावली बिना पक्षकारों को सुचित किये कैम्प कोर्ट में रखा जाकर टारगेट पूरा करने के उद्देश्य से निर्णय पारित किया गया है जो कि किसी भी दृष्टि से निर्णय की श्रेणी में नहीं आता है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा उक्त कथन कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा यह भी कथन किया गया कि अपीलाधीन आदेश की उन्हें पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी तथा निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम 06.02.2018 को हुई एवं 26.02.2018 को नकल प्राप्त की जाकर अपील जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है तथा विलम्ब की क्षमा हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अलग से प्रस्तुत किया गया है अतः अपील को अन्दर मियाद

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

शुमार कर अपीलाधीन आदेश अपील स्वीकार की जाकर निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि प्रकरण में अपीलान्ट की तामील हो चुकी थी तथा उन्हें निर्णय की पूरी जानकारी रही है। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 में किये गये कथन अस्पष्ट है। अपील में अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए आवश्यक तीनों घटको का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। उसी आदेश की एक अन्य अपील भी न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 51/18 के रूप में विचाराधीन है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा कथन किया गया कि तकासमा के दावे में रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये हैं जिनमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है तथा अपील खारिज फरमायी जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली दिनांक 04.01.2017 को तामील एवं जवाब प्रार्थना पत्र में विचाराधीन थी तथा उसके उपरान्त आगामी पेशी दिनांक 23.02.2017 नियत की गई है। इसके पश्चात् पत्रावली में आगामी पेशियां 22.03.2017, 17.05.2017, 07.06.2017 रखे जाने संबंधित सील मुहर अंकित की हुई है। उक्त आदेशिकाओं पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं है। दिनांक 07.06.2017 की आदेशिका में पक्षकारों की उपस्थिति संबंधी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। दिनांक 07.06.2017 की आदेशिका में उल्लेख है कि "आज यह पत्रावली राजस्व कैम्प कोर्ट ग्राम दूदा का बास पर पेश हुई। प्रार्थना पत्र से संबंधित वाद प्राथमिक डिक्री किया जा चुका है। प्रथमदृष्टया प्रकरण में सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः उभय पक्ष को ता दौराने वाद जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला वाद पाबन्द किया जाता है कि विवादित भूमि जो प्रार्थना पत्र के मद संख्या 3 में अंकित है के मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की वर्तमान स्थिति यथावत बनाये रखें।" अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश नॉन–स्पीकिंग आदेश है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु तीनों घटकों के संबंध में कोई विवेचन नहीं किया गया है एवं उभय पक्षकारों को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने के आदेश पारित किये गये है जबकि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर तीनों घटक प्रार्थी के पक्ष में होना अंकित करते हुए उभय पक्ष को पाबन्द किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
147/2018	रामस्वरूप / मुंडिया	

सुने बगैर तथा जवाब आदि प्रस्तुत किये जाने का अवसर दिये बगैर उक्त आदेश पारित किया गया है। चूंकि आदेश पारित किये जाने में विधिक प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है इसलिए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 स्वीकार कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है। अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने में विधिक प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है तथा पक्षकारो की समुचित सुनवाई नहीं हुई है इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर इस न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर निर्णय किया जाना सम्भव नहीं है। अपीलाधीन आदेश विधिक प्रक्रिया का उल्लंघन कर पारित होना तथा न्यायिक निर्णय की परिभाषा में नहीं आने से वह बहाल रखे जाने योग्य नहीं है तथा अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.06.2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किये जाता है कि समस्त पक्षकारों की समुचित तामील करवाई जाकर एवं उन्हें जवाब आदि प्रस्तुत किये जाने के समुचित अवसर दिये जाकर पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 02–07–2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर